E-mail: director@cbseacademic.in
Website: www.cbseacademic.in
Tel: 011-23212093
23211576
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वागत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

CBSE/Acad./Con.(English)/ASL/2013 दिनांक: 22 अगस्त, 2013

परिपत्र संख्या–अका॰ 61/2013

के॰मा॰शि॰बो॰ स संबद्ध सभी
संस्थानों के प्रमुख

विषय: अँग्रेजो में उन छात्रों के बोलने एवं सुनने की योग्यता के आकलन से संबंधित विकल्प, जिनका आंशिक या पूर्णरूप से "बोलना या सुनना बाधित" है

पिय प्रधानाचार्य,

के॰मा॰शि॰बो॰ अपने सभी हितधारकों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होकर यह अध्यादेश लेकर आया है। पहली बार जब किसी भी सुधार से मूल्यांकन की नीति प्रभावित होती है, तब कई मुद्दे उभर जाते हैं। इसलिए शैक्षिक सुधारों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा इधर उठाया गया है जो कि ऐसे छात्रों के 'मौखिक कौशल' के आकलन से संबंधित है जिनकी 'बोली बाधिक' है या 'सुनने की शक्ति बाधित' है या जो इन दोनों ही कौशलों में पूर्ण या आंशिक तौर पर नि:शक्त हैं; ऐसी स्थिति में, छात्रों की अँग्रेज़ी भाषा में बोलने एवं सुनने की क्षमता का मूल्यांकन करना कठिन होगा। माध्यमिक आकलनों में मौखिक कौशल का आकलन वर्ष 2012 से प्रभावी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है, इसलिए इसके अनुसार वर्ष 2014 और 2015 के पाठ्यक्रम के दिशा–निर्देशों को CBSE वेबसाइट www.cbseacademic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

जिन छात्रों की उपरोक्त आवश्यकताएँ हैं, उनसे संबंधित उस मुद्दे का समाधान बोर्ड ने, विकल्प के तौर पर, निम्नलिखित विकल्पों के साथ करने की कोशिश की है:-

छात्र जिस कक्षा में पढ़ रहा है उस कक्षा के लिए निर्धारित उपन्यास/दीर्ध पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रत्येक 20 अंकों के दो कार्य:

पूर्ण या आंशिक शारीरिक नि:शक्तता	विकल्प	
	सत्र 1	**सत्र 1**
यदि एक छात्र न बोल सके न ही सुन सके। या यदि एक छात्र केवल सुन सकता हो लेकिन बोल नहीं सकता हो। या यदि एक छात्र कवल बोल सकता हो लेकिन सुन नहीं सकता हो।	'बोलने एवं सुनने' के कौशलों के आकलन के बदले में, छात्रों के लिए कहानी लिखना आवश्यक हो जाएगा, जिससे छात्र की रचनात्मकता एवं कल्पनाशीलता प्रदर्शित होनी चाहिए। वे अपनी पसंद के विषय पर आधारित कहानी लिख सकते हैं। कहानी के लिए शब्द-सीमा इस प्रकार हो सकती है:- कक्षा IX के छात्र के लिए-750- 800 कक्षा X के छात्र के लिए -800-900	'बोलने एवं सुनने' के कौशलों के आकलन के बदले में, छात्रों के लिए एक कहानी लिखना आवश्यक हो जाएगा, जिससे छात्र की रचनात्मकता एवं कल्पनाशीलता प्रदर्शित होनी चाहिए। वे अपनी पसंद के विषय पर आधारित कहानी लिख सकते हैं। कहानी के लिए शब्द-सीमा इस प्रकार हो सकती है:- कक्षा XI के छात्रों के लिए 900-1000
	सत्र 2 'बोलने एवं सुनने' के कौशलों के आकलन के बदले में छात्र, कक्षा IX एवं X के लिए निर्धारित दो उपन्यासों में से किसी एक उपन्यास का चयन कर सकता है तथा सत्र के अंत में इसकी समीक्षा लिख सकता है। यह कार्य, सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा में, उपन्यास पर लिखे गए उत्तरों के अतिरिक्त होगा।	**सत्र 2** 'बोलने एवं सुनने' के कौशलों के आकलन के बदले में छात्र, कक्षा XI के लिए निर्धारित दो उपन्यासों में से किसी एक उपन्यास का चयन कर सकता है तथा सत्र के अंत में इसकी समीक्षा लिख सकता है। यह कार्य, सत्र के अंत में होने वाली परोक्षा में, उपन्यास पर लिखे गए उत्तरों के अतिरिक्त होगा।
ऐसे छात्रों को जो हकलाते हों, उन्हें आवश्यकतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।		

शिक्षक के लिए निर्देश: कहानी एवं समीक्षा का मूल्यांकन निम्नांकित मानदण्डों के आधार पर किया जा सकता है तथा मानदण्डों के लिए निर्देश शिक्षकों द्वारा तय किए जा सकते है, ताकि अंक 20 में से प्रदान किए जा सकें।

कहानी	समीक्षा
1. शीर्षक	1. शीर्षक
2. कथा क्रम	2. दृष्टिकोण
3. चरित्र	3. शैली
4. कथानक/विषय	4. चरित्र
5. मुद्दा/समस्या/अंतर्विरोध	5. कथानक
6. संकल्प	6. विषय
7. लिखने का लहजा एवं मनोदशा	7. स्थापना
8. संदेश/मूल्य	8. एक ही लेखक द्वारा कही गई पिछली बात तथा अन्य पुस्तकों से इसकी तुलना

इस मुद्दे पर आपके रचनात्मक सुझावों का स्वागत है तथा उन सुझावों को श्रीमती नीलिमा शर्मा (सलाहकार)केमाशिबो, शिक्षा सदन, 17 राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली 110002 के निम्नांकित पते पर या neelimasharma.cbse@gmail.com पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए

शुभकामनाएँ

भवदीया

डॉ॰ साधना पाराशर

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्स्टिटूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.

3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधाानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली. -110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के॰मा॰शि॰बो॰ कक्ष वी॰आई॰पी॰ मार्ग, जंगली घाट, पी॰ओ॰-744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस॰एस॰ प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085.
10. शिक्षा अधिकारी/सह-शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के॰मा॰शि॰बो॰
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के॰मा॰शि॰बो॰ की वेबसाइट पर डालने के अनुरोधा के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के॰मा॰शि॰बो॰
13. अèयक्ष, के॰मा॰शि॰बो॰ के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के॰मा॰शि॰बो॰ के डेस्क अधिकारी/निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के॰मा॰शि॰बो॰, के निजी सहायक
20. के॰मा॰शि॰बो॰ के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)